



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु०अ०सं०-३४०/२०२० धारा-३०२ भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामेन्द्र सोनी उर्फ रामू (कृष्णा माधवाचार्य) पुत्र मिठाईलाल उर्फ कृपाशंकर सोनी निवासी वार्ड नं०-९ बस स्टैण्ड कुरारा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व ₹25,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री चन्द्र  
गोस्वामी



विवेचक-  
निरीक्षक बांके  
बिहारी



पैरोकार- थाना कुरारा  
का० संजीत कुमार